

## **01 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री अरुण चन्द, पुलिस उपाधीक्षक बाँसी के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.04.2021 को उ.नि. श्री रामफल चौरसिया, उ0नि0 श्री सुभाष प्रजापति व उ0नि0 श्री अजयनाथ कन्नौजिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 10 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

- 1.ओमकार राय पुत्र बाल कृष्ण राय
2. दिलीप राय पुत्र इन्द्रजीत राय निवासी कसेहरा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
- 3.अनिल पुत्र रामललित
4. संतोष कुमार पुत्र छट्टी लाल निवासी सिरसिया चौबे थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
- 5.बीरबल पुत्र धुन्नुर
6. रुदल पुत्र मोतीलाल
7. निसार अहमद पुत्र मो0 मुस्तफा
8. मो0 शफीक पुत्र अब्दुल मजीद
9. वसी मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद
10. मो0 आरिफ पुत्र अब्दुल रहीम निवासी बेलवा लगुनही थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

### **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -**

- 1.उ.नि.श्री रामफल चौरसिया
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
3. उ0नि0 श्री सुभाष प्रजापति थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
4. उ0नि0 श्री अजयनाथ कन्नौजिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

## **02 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

**कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर जनपदीय पुलिस द्वारा की बड़ी कार्यवाही ।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया । इस क्रम में आज दिनांक 17-04-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने/सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व अन्य कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 662 व्यक्तियों से कुल रू0 1,44,950/- शमन शुल्क वसूल किया गया है । अब तक कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 61679 व्यक्तियों से कुल रू0 1,05,97,350/- शमन शुल्क वसूल गया है।

## **03 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पिछले वर्ष की भांति पुनः इस वर्ष भी जनपदीय बैरियर/चेक पोस्ट (उसका बाजार थाना अन्तर्गत सिद्धार्थनगर-गोरखपुर बार्डर, थाना बांसी अन्तर्गत सिद्धार्थनगर-बस्ती बार्डर(डिड़ई), थाना डुमरियागंज अन्तर्गत सिद्धार्थनगर-बस्ती बार्डर(महुआरा) में बनाई गयी है, जहाँ पर पुलिस बल द्वारा चिकित्सकीय टीम के साथ समन्वय स्थापित कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग आदि करायी जा रही है, तथा मास्क न लगाने/सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व अन्य कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का चालान भी किया जा रहा है।

## **04 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.04.2021 को श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर साड़ियों का वितरण कर प्रचार- प्रसार करने के सम्बन्ध में सूचना मिली कि 1. उमेश सिंह पुत्र देवनरायन सिंह व 2.सूरज खरविन्द पुत्र लौटू खरविन्द साकिनान बेलवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर व दो-तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनीता सिंह पत्नी उमेश सिंह प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नं0- 06 निवासी बेलवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने हेतु ग्राम सन्तोरा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर में साड़ियों का वितरण कर रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चुनाव प्रचार- प्रसार में वितरण की गयी 15 साड़िया बरामद की गयी तथा थाना स्थानीय पर एनसीआर नं0- 31/2021 धारा 171(च) भा0द0वि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **अभियुक्तों का विवरण-**

1. उमेश सिंह पुत्र देवनरायन सिंह सा0 बेलवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
2. सूरज खरविन्द पुत्र अज्ञात साकिन बेलवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर व दो- तीन अन्य अज्ञात

### **बरामदगी का विवरण-**

- 1.15 साड़िया बरामद।

### **बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

- 1.उ0नि0 श्री रिकू तिवारी
- 2.का0 मोहम्मदीन
- 3.पीआरडी रमेश

## **05 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्डपुर, सिद्धार्थनगर पर पहुंचकर कोविड संक्रमण से बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों उपकरणों आदि की गहनता से जांच कर उपस्थित स्टॉफ को सदैव मास्क, सैनिटाइजर तथा दो गज की दूरी के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। महजिदिया गांव में कोरोना पाजिटिव हुए व्यक्ति के घर जाकर/आकस्मिक निरीक्षण कर होम आइसोलेशन हेतु जागरूक किया गया।

### **06 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 17-04-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 559 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 157 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज कर ₹ 159000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

### **06 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

प्रेस नोट दिनांक 17.04.21 थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर |

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा” अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु” चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपिलवस्तु महेश सिंह द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में डग्गामार वाहनो व तीन सवारी वाहनो की चेकिंग व कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु दौरान चेकिंग की कार्यवाही की गयी। लाऊड हेलर के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया तथा चेकिंग के दौरान \*23 व्यक्तियो से 7500/- बिना मास्क लगाये पाये जाने पर शमन शुल्क अदा करने के पश्चात मौके पर ही रुकसत किया गया। संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान टीम द्वारा 15 वाहन से रुपया 20000/- का ई- चालान किया गया। एक वाहन सीज।

चेकिंग टीम -

- 1- महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 2- उ.नि.किशोरी लाल
- 3- का. सलीम अहमद
- 4- का. हिमांशु सिंह

## **07 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

### **“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही”**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पाण्डेय एवं प्रभारी निरीक्षक इटवा वेद प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.04.2021 को NCR No 46/21 ,47/21में संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनो पक्षों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - पुरानी रंजिश व पंचायत चुनाव की कृषि विधि को लेकर अभि०द्वारा गाली-गलौज कर मारपीट करना।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -**

1. राकेश त्रिपाठी पुत्र श्री लवकुश त्रिपाठी।
- 2-जनार्दन प्रसाद पुत्र राम प्रकटा निवासी गण ग्राम मुडिला नानकार थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

- 1- उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार राय।
- 2-आरक्षी देवेश सिंह।

## **08 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

### **“शराब तस्करी गिरफ्तार\*\* ”**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, इटवा के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना गोलहौरा पुलिस द्वारा कार्यवाही आज दिनांक 17.04.2021को श्री अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा के नेतृत्व 01 अभियुक्त के पास से 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 41/21 धारा 60 आबकारी अधि०पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**अभियुक्त – 01 लक्ष्मण गुप्ता पुत्र नरेश गुप्ता निवासी पैदा नाकार थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर\***

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. हे०का० लालधर प्रसाद
2. कांस्टेबल सौरभ सिंह

बरामदगी – **10 लीटर कच्ची शराब**

## **09 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर**

थाना- शोहरतगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह प्र.नि. शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 17.04.2021 को ग्राम गड़ाकुल, शोहरतगढ़ में उ.नि.रणन्जय सिंह थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के दौरान क्षेत्र भ्रमण प्रत्याशी ग्राम पंचायत सिरसिया राजा महमूद आलम खान का चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुये बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लिये मोटरसाइकिल पर पोस्टर लगाया जाना पाया गया। जिस पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नं 0- 66/21 धारा- 171 एच भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **विवरण अभि —**

कमरुद्दीन पुत्र जुम्मन नि0 सिरसिया राजा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

## **10 प्रेस नोट दिनांक 17.04.2021 जनपद सिद्धार्थनगर ।**

### **थाना -चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 17.04.2021 को श्री दिनेश चन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया के नेतृत्व में थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को जगरनाथपुर पुल के पास से मय 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 34/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल फरा साकिन जमुहवा टोला पण्डितपुर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद ।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ.नि. तरूण कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी पल्टा देवी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. हे०का० जनार्दन पटेल थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे०का० मन्नान खान थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
4. का० राममिलन यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।